149 Deed of Trust Latehar 2 IV 55/-

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

02AA 417586

Deputy Development Commissioner
Latehar

शुल्क	30=00
शुल्क	1000=00
(ए) शुल्क	11=00
सलामी शुल्क	
तलवाना शुल्क	
	1041=00

लातेहार जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट विलेख

यह विलेख आज 25 दिनांक 02 वर्ष 2016 को निष्पादित किया गया।

द्वारा

झारखंड सरकार, खान एवं भूतत्व विभाग के संयुक्त सचिव/उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के मुख्यालय, राँची द्वारा राज्य सरकार की ओर से एक पक्ष, "जिन्हें व्यवस्थापक" कहा जायेगा।

.................प्रथम पक्ष

नीचे अंकित पदधारी/न्यासकर्त्ता या उसके उत्तरवर्ती, जब तक कि इस विषय के संबंध में अन्यथा अभिव्यक्त न किया गया है, के पक्ष में विलेख निष्पादित किया जाता है।

.................द्वितीय पक्ष

7598 5/-

नम्बर मूल्य

नाम सहायक समाहर्ता/परियोजना पदाधिकारी

पता लातेहार

PAWAN हस्ताक्षर 23-1-16

S.V. LATEHAR

L.N. 04/2007

02AA 417586

Deputy Development Commissioner
Latehar

25/2/16

25-2-2016

101

श्री : ग्रामीण विकास

पिता/पति : वि० शा० लातेहार

निवास : जि० ग्रा० कार्यालय

थाना : लातेहार

जाति

स्टाम्प के लिए प्रस्तुत किया

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

लातेहार

(क) न्यास परिषद:--

	नाम-	शासी परिषद में पदनाम निर्दिष्ट
i.	उपायुक्त --	अध्यक्ष
ii.	उप विकास आयुक्त --	सदस्य सचिव
iii.	आरक्षी अधीक्षक --	सदस्य
iv.	संबंधित जिलान्तर्गत प्रादेशिक वन प्रमण्डल के वरीयतम वन प्रमण्डल पदाधिकारी --	सदस्य
v.	जिला शिक्षा पदाधिकारी --	सदस्य
vi.	असैनिक शल्य चिकित्सक--सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी --	सदस्य
vii.	संबंधित उप निदेशक, खान --	सदस्य
viii.	संबंधित उप निदेशक, भूतत्व --	सदस्य
ix.	संबंधित जिला खनन पदाधिकारी -	सदस्य
x.	अध्यक्ष जिला परिषद के प्रतिनिधि -	सदस्य
xi.	झारखण्ड स्मॉल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि -	सदस्य
xii.	माननीय सांसद के प्रतिनिधि --	सदस्य
xiii.	जिला अन्तर्गत सभी माननीय विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि -	सदस्य
xiv.	दो प्रमुख खनन पट्टाधारी, जिसे शासी परिषद द्वारा नामित किया जाएगा --	सदस्य
xv.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के निर्वाचित प्रमुख एवं उप प्रमुख --	सदस्य
xvi.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के निर्वाचित मुखिया एवं उप मुखिया-	सदस्य

चूंकि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 की धारा-9B अन्तर्गत, जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट का गठन एक गैर लाभकारी संस्थान के रूप में किया जाना है, ताकि खनन से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों-परिवार के हितों एवं लाभों की रक्षा करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा यथा निर्देशित ढंग से किया जा सकें। एवम

चूंकि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यवस्थापक ने यह विनिश्चित किया है कि एक गैर लाभकारी न्यास का गठन राज्य सरकार अन्तर्गत किया जाए ताकि गठित न्यास अन्तर्गत प्राप्त कोष से खनन क्षेत्र में रहने वाले खनन प्रभावित लोगों का समुचित विकास राज्य सरकार द्वारा विहित निर्देशित ढंग से व्यवस्थापक द्वारा किया जा सके। जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट बनाए जाने के उद्देश्य से न्यासी के निर्वहाधीन 1000/- (एक हजार) रूपये से प्रारम्भिक परिनिधि दिया जाता है।

अब यह न्यास विलेख इस प्रकार है :--

1. परिभाषा एवं निर्वचन

इस न्यास विलेख में यदि संदर्भ की आवश्यकता भिन्न नहीं हो तो निम्नांकित शब्दों का अर्थ निम्न रूप से माने जाएंगे :

i अधिनियम का अर्थ है : खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957

गवाह
1. Ram Naresh Singh, A.M.O. Latehar, 25.02.16 by Cast:- Kahri

[illegible]

(18)

ii न्यासी द्वारा नियुक्त अंकेक्षक / चार्टर्ड अकाउण्टेंट में व्यवस्थापक द्वारा प्राधिकृत या महालेखाकार झारखंड द्वारा नियुक्त अंकेक्षक भी समझे जाएगें।

iii 'लाभुक' का अर्थ है खनन से प्रभावित क्षेत्र एवं व्यक्ति।

iv अंशदान का अर्थ है :– (क) जिला में अवस्थित खनन पट्टाधारक, जिन्हें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद खनिज के पट्टे या पूर्वेक्षण–सह – खनन पट्टा प्राप्त हुआ है, उनसे अधिनियम की द्वितीय अनुसूचि के अनुरूप स्वामिस्व के अतिरिक्त स्वामिस्व के 1/3 (एक तिहाई) राशि से अनाधिक राशि प्राप्त की जाएगी।

(ख) वेसै पट्टाधारक, जिन्हें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के पूर्व खनन पट्टा प्राप्त है, उनसे स्वामिस्व के अतिरिक्त पट्टे के वर्गीकरण के अनुसार यथा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित स्वामिस्व / दर से अनाधिक राशि इस कोष में प्राप्त की जाएगी।

v अंशदान कोष का अर्थ है, जिला में अवस्थित खनन पट्टाधारक या पूर्वेक्षण–सह–खनन पट्टाधारक से अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुरूप अंशदान प्रतिशत में स्वामिस्व के 1/3 (एक तिहाई) राशि से अनाधिक प्राप्त राशि का कोष।

vi "जिला दण्डाधिकारी" का अर्थ है, राजस्व प्रशासन का जिला में प्रमुख अधिकारी जिसे समाहर्त्ता या उपायुक्त के नाम से नाम निर्दिष्ट हों।

vii "जिला पंचायत" का अर्थ है, जिला परिषद या कोई अन्य प्राधिकार, जिसे संविधान की अनुसूची V एवं VI में समान दायित्व उन क्षेत्रों में दिया गया है।

viii "शासी परिषद" का अर्थ है, सभी न्यासी की परिषद, जो जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में है और जिसे न्यास परिषद के रूप में जाना जायेगा।

ix "अध्यादेश" का अर्थ है, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015"

x "न्यास का अर्थ" है, लातेहार जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, जो व्यवस्थापक द्वारा बनाया गया है।

xi "वर्ष" का अर्थ है, पहली अप्रैल से प्रारम्भ एवं 31 मार्च को अगले वर्ष समाप्त होने वाला वर्ष या अंश, जो 31 मार्च को समाप्त होगा।

(2) एकवचन में प्रयुक्त शब्द में बहुवचन एवं बहुवचन में प्रयुक्त शब्द में एकवचन क्रमशः सम्मिलित समझे जाएगें।

(3) जिन शब्दों का अर्थ पुलिंग है, उसमें स्त्रीलिंग एवं उभयलिंग भी सम्मिलित समझे जाएगें।

2. **न्यास का नाम :–** इन न्यास को **"लातेहार जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट"** के नाम से जाना जाएगा एवं इसका कार्यालय जिले के उपायुक्त के कार्यालय में अवस्थित होगा।

3. **उद्देश्य :– "लातेहार जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट"** का उद्देश्य खनन क्षेत्र में खनन से प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों तथा क्षेत्र के हित–लाभ के लिए योजना का सूत्रण, स्वीकृति व कार्यान्वयन, जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली के अनुसार होगा।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়

(17)

4 **नियुक्ति एवं घोषणा :— न्यास परिषद का न्यासी**

(1) व्यवस्थापक सभी न्यासी को न्यास परिषद का न्यासी नियुक्त करते है, जिसका गठन हो रहा है एवं सभी न्यासी यह नियुक्ति निम्न शर्तो एवं प्रावधानों के साथ स्वीकार करते है।

(2) न्यासी जिन्हें पदनाम से शासी परिषद का न्यासी नियुक्त किया गया है, अपने पद पर बने रहते हुए न्यासी का पद धारित रखेंगे एवं उनके पदमुक्त होने तथा प्रतिस्थानी के आने पर उनके प्रतिस्थानी न्यास परिषद में उनके स्थान पर पदभार लेने के साथ ही स्वतः न्यासी हो जाऐगें।

(3) नामित न्यासी की कार्यावधि नियुक्ति से 03 वर्ष तक की होगी एवं उनके बाद नामित करने वाले प्राधिकार उनके नियुक्ति को अगले कार्यकाल तक नवीकृत या अन्य व्यक्तियों को उन स्थानों पर नामित कर सकेगा, परन्तु ऐसे नामित न्यासी का दो कार्यकाल तीन—तीन वर्षो से अधिक का नहीं होगा।

(4) व्यवस्थापक कभी भी न्यासी की सख्या एवं कोटि में बृद्धि कर सकते है, जो उनको उपयुक्त लगे।

(5) व्यवस्थापक कभी भी न्यासी को हटा सकेंगे एवं अन्य को न्यासी नियुक्त कर सकेगें। जिस न्यासी को व्यवस्थापक द्वारा हटाया गया है वह निष्कासन की तिथि से हटाये गये समझे जाएगें।

(6) न्यासी के अधिकार में न्यास का कोष इस न्यास विलेख में दिए गए अधिकार एवं उपबंध के अन्तर्गत रहेगा एवं वे न्यास के कार्यकाल के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति या संस्थाओ की सम्पति को ग्रहण कर अपने न्यास के कोष मे रख सकेगा।

5. **न्यास का प्रबंधन** :— न्यास का प्रबंधन न्यास परिषद के अन्तर्गत रहेगा, जिसमे न्यास के सभी सदस्य सम्मिलित होगें, परन्तु दिन—प्रतिदिन का प्रबंधन प्रबंधकीय समिति द्वारा यथा कंडिका—9 के प्रावधानों के अनुरूप होगा। व्यवस्थापक, प्रबंधकीय समिति की संरचना को बदलने का निर्णय कभी भी ले सकेगा।

6. **न्यास का निर्णय** :—

(1) न्यासी द्वारा सभी निर्णय न्यास परिषद की बैठक मे लिए जायेंगे एवं ऐसी सभी बैठकों को न्यास की बैठक समझा जाएगा।

(2) शासी परिषद के सभी निर्णय बहुमत पर सदस्यों की उपस्थिति एवं मत के आधार पर होगें! मत के बराबरी पर बैठक के अध्यक्ष को विशेष मताधिकार प्राप्त होगा।

(3) बिना व्यवस्थापक के अनुमति के न्यासी द्वारा इस न्यास विलेख के किसी भी अंश को संशोधित नहीं किया जाएगा।

(4) न्यासी, शासी परिषद एवं प्रबंधकीय समिति व्यवस्थापक द्वारा समय—समय पर दिए गए निदेश, मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेगे।

7 **शासी परिषद के अधिकार एवं कृत्य** :—

शासी परिषद के सभी न्यासी निम्न कार्यो हेतु उत्तरदायी होंगे :

(1) शासी के कृत्यों के लिए नीति निर्धारण एवं समय समय पर कृत्यो की समीक्षा एवं वार्षिक कार्ययोजना, बजट का निर्माण एवं अनुमोदन।

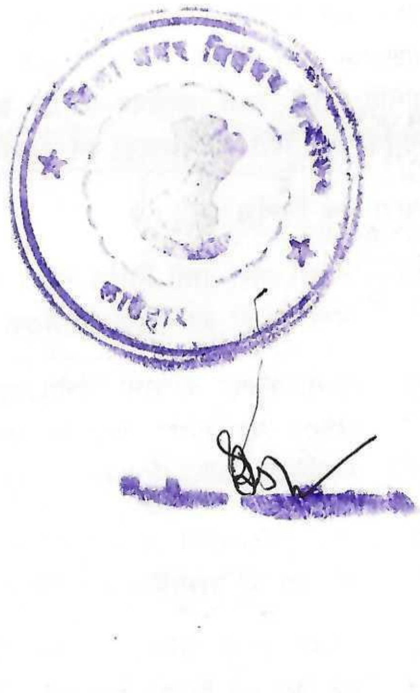

(2) वार्षिक कार्ययोजना न्यास परिषद द्वारा आगामी वर्ष के एक माह पूर्व तैयार कर ली जाएगी। वार्षिक कार्य योजना में योजना एवं परियोजना की सूची एवं अनुमोदित प्रावधानों का उल्लेख होगा।

परन्तु यदि किसी कारणवश शासी परिषद द्वारा वार्षिक योजना एंव बजट का निर्माण एवं अनुमोदन नियत समय मे नही किया जा सके, तब शासी परिषद के अध्यक्ष कार्ययोजना एवं बजट को तैयार कर अनुमोदित कर सकेगें। इस प्रकार से विर्निदिष्ट कार्य योजना व बजट न्यासी परिषद द्वारा तैयार एवं अनुमोदित समझा जायेगा।

परन्तु, अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना तैयार करते समय विगत प्रतिवद्धता एवं देनदारियों का भी मूल्यांकन कर लिया जाएगा। वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए किसी भी परिस्थिति मे विगत देनदारियॉं एवं प्रतिवद्धता, आगामी वर्ष में प्राप्त होने वाली रोकड से तीन गुणा से अधिक न हो।

(3) यदि व्यवस्थापक द्वारा इस न्यास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध न्यास के कोष से कोई व्यय का निर्धारण किया गया है, तो उसका अनुमोदन।

(4) प्रबंधकीय समिति के अनुशंसा को अनुमोदित करना।

(5) न्यास के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा को पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के अन्दर अनुमोदित करना।

8. शासी परिषद की बैठक :-

(1) शासी परिषद, जहॉं आवश्यक हो बैठक आयोजित कर सकेगी, परन्तु प्रत्येक तिमाही मे न्यूनतम एक बार अवश्य बैठक करेगी।

(2) शासी परिषद की बैठक अध्यक्ष के इच्छानुसार बुलायी जा सकेगी।

(3) कुल सदस्यों के 1/3 (एक तिहाई) भाग उपस्थित रहने पर कोरम पूर्ण माना जाएगा।

9. प्रबंधकीय समति :-- न्यास के मामले/कार्य, प्रबंधकीय समिति द्वारा सम्पन्न कराये जायेंगे एवं इस समिति मे निम्नांकित सदस्य होगें :-

प्रबंधकीय समिति:--

i.	उपायुक्त	अध्यक्ष
ii.	आरक्षी अधीक्षक	सदस्य
iii.	उप विकास आयुक्त	सदस्य सचिव
iv.	संबंधित जिलान्तर्गत प्रादेशिक वन प्रमण्डल के वरीयतम वन प्रमण्डल पदाधिकारी	सदस्य
v.	जिला/सहायक खनन पदाधिकारी	सदस्य
vi.	असैनिक शल्य चिकित्सक--सह--मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य
vii.	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	सदस्य

10. प्रबधकीय समिति की बैठक :-- एक वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय समिति की बैठक कम से कम 06 बार अध्यक्ष के निर्णयानुसार की जाएगी।

11 प्रबंधकीय समिति के अधिकार एवं कृत्य :-- प्रबंधकीय समिति

(1) न्यास के हित को सुरक्षित रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी सतर्कता के साथ करेगी।

(15)

(2) संबंधित पट्टेधारियों से अधिनियम के प्रावधानानुसार समेकित अंशदान का ससमय जमा कराएगी।

(3) न्यास के कार्यो के मास्टर प्लान/विजन अभिलेख, परियोजना प्रस्ताव एव स्कीम तैयार करेगी।

(4) वार्षिक योजना एवं बजट के निर्माण में न्यास को सहयोग करेगी।

(5) वार्षिक योजना एवं अनुमोदित परियोजना का पर्यवेक्षण एव क्रियान्वयन करेगी।

(6) परियोजना की स्वीकृति के साथ न्यास कोष की नियुक्ति एव संवितरण करेगी।

(7) न्यास कोष का संचालन न्यास के नाम बैंक खाता खोलकर लेखा एवं निवेश का संचालन करेगी।

(8) न्यास कोष के प्रगति का अनुश्रवण करेगी।

(9) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के अन्दर वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा को शासी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(10) न्यास के सफल संचालन हेतु नियम को तैयार/अनुमोदित करेगी।

12. न्यास कोष :-

लातेहार जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में निम्नांकित सम्मिलित होंगे:-

(1) व्यवस्थापक द्वारा प्रारंभिक परिनिर्धारण।

(2) व्यवस्थापक या अन्य एजेंसी, संस्थान या व्यक्ति से प्राप्त अनुदान अंशदान या अन्य रकम अदायगी।

(3) अधिनियम की दूसरी अनुसूची में यथा उल्लेखित स्वामित्व की दर पर खनन पट्टाधारी, सह खनन पट्टेधारी से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित स्वामित्व दर के प्रतिशत के समतुल्य प्राप्त राशि।

(4) पूंजीनिवेश अन्य जमा पर उद्भूत ब्याज, जो लागू हो।

(5) न्यास की अन्य सभी सम्पत्ति एव आय, जो पूंजी वृद्धि से प्राप्त हुई हो।

13. न्यास कोष का संचालन :- न्यास के नाम से, एक या अधिक अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंको में खाता खोलकर रखा जा सकेगा, जिसका संचालन सदस्य सचिव एवं प्रबंधकीय समिति के अन्य सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रबंधकीय समिति के प्राधिकृत करने के उपरांत किया जा सकेगा। न्यास इस कोष की लेखा विवरणों का रख रखाव करेगा।

14 न्यास कोष से खर्च :-

न्यास के पास उपलब्ध कोष से निम्नांकित व्यय किया जा सकेगा :-

(1) खनन संबंधित कार्यों के कारण जिले के प्रभावित क्षेत्रों में न्यासी द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजना के अनुसार सामाजिक आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु समेकित विकास का कार्य।

(2) स्थानीय सामाजिक आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण।

(3) खनन प्रभावित क्षेत्र में सामुदायिक आस्तियां एवं सेवाओं को स्थानीय आबादी को मुहैया कराना व उनका अनुरक्षण एवं उन्नयन करना।

খবর বিভাগ

(14)

(4) स्वरोजगार व रोजगार सृजन के उद्देश्य से कौशल एवं क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण संचालित करना, परन्तु कुल प्राप्त वार्षिक कोष के 6 प्रतिशत से अधिक राशि का व्यय न्यास द्वारा प्रशासनिक या स्थापना खर्च में नहीं किया जायेगा,

परन्तु, न्यास कोष से किसी प्रकार का अग्रिम या नकद अनुदान किसी भी लाभुक को नहीं दिया जायेगा।

15. खर्च का अवभार :—

निम्नांकित खर्च न्यास के कोष से किए जा सकेगें।

(1) न्यास के कार्य या संचालन में कुल खर्च, जिससे वसूली एवं निवेश के हित लाभ साधे गये हो।

(2) न्यासी द्वारा कोई संसाधन या अंशदान प्राप्त करने में हुए खर्च (एकरारनामा या विलेखों के निष्पादन निबंधन में हुए प्रारम्भिक व्यय)

(3) विधिक कार्यवाही में उत्पन्न खर्च, जो न्यासी द्वारा या विरूद्ध हुए हो, से संबंधित व्यवसायिक शुल्क एवं विधिक परामर्शी का खर्च।

(4) सभी वैधानिक एवं कानूनी व्यय जो न्यास के सचालन मे हुए हो, यथा शुल्क, उद्ग्रहण, अन्य खर्च सहित।

(5) बैठक एवं कार्यवाही संचालित करने में हुए व्यय।

16. लेखा एवं अंकेक्षण :—

1.(i) (क) प्रबधकीय समिति द्वारा लेखा विवरणी, दस्तातेजों व अभिलेखों का संधारण किया जाएगा, जिससे न्यास कोष की सही एवं स्वच्छ स्थिति प्रदर्शित हो।

(ख) एक वर्ष की समाप्ति के उपरांत योग्य अकेक्षक द्वारा न्यास के लेखा का अंकेक्षण किया जायेगा।

(ii) न्यासी द्वारा महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत अंकेक्षण की सूची में से शासी परिषद की बैठक मे जैसी शर्तें एवं प्रावधान, न्यासी तय करेंगें के अनुसार अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकेगा।

(iii) अंकेक्षक को न्यासी द्वारा हटाया एव परिवर्तित किया जा सकेगा।

2. उपरोक्त कंडिका—1 में होते हुए भी व्यवस्थापक किसी अंकेक्षक को नियुक्त कर सकेगा या महालेखाकार द्वारा अंकेक्षक नियुक्त कराकर किसी वर्ष या अवधि का अंकेक्षण जिस शर्तें पर कराना चाहे, उसे कराने का निर्णय ले सकेगा।

3. न्यास अपने अगामी वर्ष का आय—व्ययक, योजना, परियोजना एव स्कीम की अनुमोदित प्रतियॉ जिला पंचायत/जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार (खान एवं भूतत्व विभाग, योजना विभाग) के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजेगा।

4. प्रत्येक तिमाही के समाप्ति के 45 दिनों के अन्दर न्यास द्वारा अनुमोदित परियोजना आदि की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां जिला पंचायत, जिला प्रशासन को अविलम्ब बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु भेज दी जाएगी।

5. वित्तीय वर्ष समाप्ति के 60 दिनों के अन्दर न्यास द्वारा न्यास परिषद से अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन को जिला पंचायत, जिला प्रशासन एव राज्य सरकार के बेवसाईट में प्रकाशनार्थ भेज दिया जाएगा।

(13)

17. **प्रशासनिक व्यवस्थाएँ :-**

(1) राज्य सरकार अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत कर्मियों (जिला पंचायत में कार्यरत कर्मी सहित) की सेवा न्यास के प्रबधन एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायेगी।

(2) न्यास परिषद व्यवस्थापक / राज्य सरकार से यथेष्ट संख्या में मुख्य कर्मी अपने किसी विभाग या जिला परिषद या अन्य संवर्ग से प्रशासनिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए देने का अनुरोध कर सकेगी। इन प्रतिनियुक्ति कर्मियों की सेवा अपने मूल संवर्ग में ही रहेगी। न्यास इस कार्य के निमित अधिकतम 3 प्रतिशत का खर्च वहन कर सकेगी (यह 3 प्रतिशत कंडिका 14(4) मे किए गए 6 प्रतिशत के अधीन होगा)।

(3) न्यास किसी सेवा प्रदाता से न्यास को सुचारू ढंग से क्रियान्वित करने के निमित ऐसी सेवा ले सकेगी एवं आकस्मिक खर्च से इस कार्य का वहन कर सकेगी।

18. **न्यासी का दायित्व :-**

(1) न्यासी ऐसे किसी कार्य के प्रति उतरदायी नहीं होगा, जो पूरे सदभाव, अधिकार एवं सतर्कता से किया गया हो। किसी बैंक, दलाल, अभिरक्षक या अन्य व्यक्ति जिनके पास नेक नियत से न्यास का कोष रखा गया हो, के गलती या निवेश के अपर्याप्त होने पर या अनैच्छिक हानि के लिए वह जिम्मेवार नहीं होगा।

(2) सभी न्यासी एवं एटर्नी, एजेन्ट, जिसे न्यास द्वारा नियुक्त किया गया हो, को न्यास कोष से सभी दायित्व, हानि, कार्य को करने की क्षतिपूर्ति की जाएगी, वशर्ते ऐसे कार्यो को छोड़कर जो लापरवाही अथवा कदाचार से किए गए हो परन्तुक ऐसी क्षतिपूर्ति किसी भी परिस्थिति में कुल प्राप्त अंशदान से अधिक नहीं होगी।

19. **न्यासी का पारिश्रमिक :-**

न्यासी द्वारा दिए गए सेवा के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

20. **संशोधन :-**

व्यवस्थापक / राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस विलेख को संशोधित किया जा सकेगा।

21. **न्यास की मोहर :-**

शासी परिषद की बैठक में न्यासी द्वारा न्यास की मोहर की स्वीकृति एवं समय- समय पर उसे नष्ट या नये रूप से प्रतिस्थापित किया जा सकेगा। प्रबंधकीय समिति के अध्यक्ष के पास न्यास की मुहर रहेगी एवं वे इसका न्यास के स्थान पर व्यवहार कर सकेगें।

22. **प्रतिसंहरित** :- व्यवस्थापक के विवके एवं स्वेच्छा से न्यास को प्रतिसंहरित किया जा सकेगा। न्यास उस अवधि तक कार्य कर सकेगा, जैसा व्यवस्थापक द्वारा विर्निदिष्ट किया जाएगा। न्यास की समाप्ति के उपरांत सभी आस्तियाँ एवं देनदारी राज्य सरकार में हस्तांतरित हो जायेगी।

राज्य सरकार के वास्ते हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

28.1.16

उप विकास आयुक्त
-सह-
सदस्य सचिव, लातेहार

संयुक्त / ~~उप सचिव~~

दिनांक ....

जिला नगर नियोजक
रायबरेली

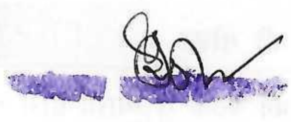

जिला नगर नियोजक
रायबरेली

(12)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

E-Aadhaar Letter

नामांकन क्रमांक/ Enrolment No.: 1207/04317/02750

Shakeel Jabbar (शकील जब्बार)
S/O A Jabbar, qwaatar no . -3k/77, housing colony, near bariatu hill bariatu ranchi, Ranchi G.P.O., Ranchi G.P.O., Ranchi
Jharkhand. 834001

आपका क्रमांक/ Your Aadhaar No.:

5033 7614 3097

-आम आदमी का अधिकार

- पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं ।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन ऑथेन्टिकेशन द्वारा प्राप्त करें ।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है ।

- is proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.
- This is electronically generated letter.

Validity unknown
Digitally signed by Kharakwal Amitabh
Date: 11/06/2013

www.uidai.gov.in P.O. Box No.1947, Bengaluru-560 001

- देश भर में मान्य है.
- के लिए आपको एक ही बार नामांकन दर्ज करवाने की आवश्यकता है.
- कृपया अपना नवीनतम मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पता दर्ज कराएं. इससे आपको विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने में सहूलियत होगी

- Aadhaar is valid throughout the country.
- You need to enrol only once for Aadhaar.
- Please update your mobile number and e-mail address. This will help you to avail various services in future.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

शकील जब्बार
Shakeel Jabbar
जन्म वर्ष/YoB:1959
पुरुष Male

1·3·59

5033 7614 3097

- आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
S/O: ए. जब्बार, कवाटर न - 3के/77, हाउसिंग कॉलोनी, बरियातु हिल के पास बरियातु रांची, रांची जि.पि ओ., रांची जी.पी.ओ., रॉंची झारखण्ड, 834001

Address:
S/O: A. Jabbar, qwaatar no 3k/77, housing colony, near bariatu hill bariatu ranchi, Ranchi G.P.O., Ranchi G.P.O., Ranchi
Jharkhand. 834001

- Aam Aadmi ka Adhikar

[signature] 20/12/16

(11)

इस परिचय पत्र को हमेशा अपने साथ रखिए।

नियन्त्रण पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

[illegible]ड सरकार

[illegible]-पत्र विवरण

नाम	:–	श्री नरेन्द्र [illegible]मार
पदनाम	:–	कम्प्यूटर [illegible]परेटर
पता	–	जिला खनन कार्यालय लातेहार झारखण्ड
[illegible] कार्ड नं०	–	BKF[illegible]K5881B
[illegible] तिथि	:–	2[illegible].09.1986
नियुक्ति [illegible]	–	[illegible]1.06.2010
[illegible]/[illegible] का नाम एवं [illegible]	:–	जिला खनन कार्यालय लातेहार
[illegible]/मो० नं	:–	[illegible]947[illegible]
[illegible]	:–	खान एवं भूतत्व विभाग
तिथि	:–	21.06.[illegible]
		Narendra Kumar कार्डधारी का हस्ताक्षर

Narendra Kumar
25.02.16

(10)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

C 583442

नम्बर 9381 मूल्य 50/-

नाम सहायक लेखा पदाधिकारी

पता लातेहार

समाहरणालय लातेहार

हस्ताक्षर

25.02.16

PAWAN KUMAR PATHAK
S.V. LATEHAR
L.N 04/2007

30 JAN 201

कोषागार पदाधिकारी
लातेहार

जिला पंचायत निर्वाचन कार्यालय
लातेहार

निबंधन विभाग, झारखंड
लातेहार

जांच पर्चा-सह घोषणा प्रपत्र (नियम 114)

Token No: **1** Token Date/Time: **25/02/2016 12:40:04**

Document Type	**Trust**	Presenter	**Shakeel Jabbar**		
Presenter' Name & Address	**D.D.C. Office Latehar**			Date of Entry	**25/02/2016**
Stampable Doc. Value	0	DOE		Total Pages	**26**
Document/Transaction Value	**0**	Stamp Value	**55**	Book	**IV**
Special Type		Serial No.	0	CNO/PNO	**0**
Remarks / Other Details		Old Serial No.	**/**		
Property Details:		App. ID		e-Stamp Cert. No.	

Anchal	Th.No.	Wrd/Hlk	Mauza	Kh. No.	Plot No	Plot Type	Boundary North	Boundary South	Boundary East	Boundary West	H No	Category	Area	Min. Value

Other Property Details:

Property Type	Th. No.	Wrd	Mauza	Location	Area	Rate	Amount

Party Details:

SN	P Type	Party Name	Father/Husband	Occup.	Relation	Caste	Gender	PAN/F 60	UID	Mobile	Pres. Address	Perm. Address
1	Trustator	Shakeel Jabbar Deputy Development Commisioner Latehar	A Jabbar	Service	अज्ञात	मोमीन	Male				D.D.C. Office Latehar	
2	Identifier	Narendra Kumar	Vijay Kumar	Service	अज्ञात	सोनार	Male				District Mining Office Latehar	
3	Witness1	Ram Naresh Singh	Kamla Singh	Service	अज्ञात	कुरमी	Male				A.M.O. Latehar	
4	Witness2	Chandan Kumar	Rajendra Kumar	Service	अज्ञात	हलवाई	Male				D.R.D.A Office Latehar	

Fee Details:

SN	Description	Amount	CHC	Net Amount
1	E	1,000.00	10.00	1,010.00
2	SP	390.00	0.00	390.00
3	A1	30.00	10.00	40.00
Total		**1,420.00**	**20.00**	**1,440.00**

उपरयुक्त प्रविष्टियाँ दस्तावेज में अंकित तथ्यो के अनुरूप है |

रिजवान अहमद
दस्तावेज लेखक का हस्ताक्षर

25/2/16
प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर

निबंधन पुर्व सारांश में इंपुट फार्म के अनुरूप डाटा इंट्रि की गई है |

डाटा इंट्रि ऑप्रेटर का हस्ताक्षर

उपरयुक्त .... शकील अब्बार उप विकास आयुक्त ....ने इस दस्तावेज के निष्पादन को मेरे समक्ष स्वीकार किया
जिसकी
पहचान........ नरेन्द्र कुमार ....पिता........ विजय कुमार ....
निवासी........ जिला खनन कार्यालय लातेहार .... पेशा........ नौकरी ....ने की |

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नरेन्द्र कुमार
25.02.16

जिला अवर निबंधक कार्यालय
लातेहार

निबंधन विभाग, झारखंड
लातेहार

Token No.1 Token Date: 25/02/2016 12:40:04
Serial/Deed No./Year :149/2/2016
Deed Type: Trust

SN	Party Details	Photo	Thumb
1	**Shakeel Jabbar Deputy Development Commisioner Latehar** Father/Husband Name:A Jabbar (Trustator) D.D.C. Office Latehar		
2	**Narendra Kumar** Father/Husband Name:Vijay Kumar (Identifier) District Mining Office Latehar		
3	**Ram Naresh Singh** Father/Husband Name:Kamla Singh (Witness1) A.M.O. Latehar		
4	**Chandan Kumar** Father/Husband Name:Rajendra Kumar (Witness2) D.R.D.A Office Latehar		

Book No.	IV
Volume	1
Page	27 To 52
Deed No	149/2
Year	2016
Date	25/02/2016 13:33:45

Registering Officer

Signature of Operator

(7)

झारखण्ड सरकार

<u>खान एवं भूतत्व विभाग</u>

पत्रांक-- ख0भू0विविधि--05 / 2009 60 / एम0,राँची दिनांक- 13/1/16

प्रेषक,

आनन्द मोहन ठाकुर,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी जिला / सहायक खनन पदाधिकारी,
झारखण्ड।

विषय :— **जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट का एकरारनामा उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला खनिज फाउंन्डेशन ट्रस्ट के एकरारनामा का विहित प्रपत्र पूर्व में आपको विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा चुका है, किन्तु अद्यावधि आपके द्वारा इस संबंध में कोई आवश्यक पहल नहीं की गई। फलस्वरूप ट्रस्ट के विलेख का निस्पादन नहीं हो सका है।

आपसे अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत अभिरूचि लेते हुए उपायुक्त से संपर्क कर एवं उप विकास आयुक्त से Deed पर हस्ताक्षर कराकर अद्योहस्ताक्षरी के हस्ताक्षरार्थ विलेख विशेष दूत से भेजे ताकि जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के गठन को मूर्त रूप दिया जा सके एवं बैंक खाता आदि में पट्टेधारियों का अंशदान प्राप्त होना प्रारंभ हो।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

18.1.16

(आनन्द मोहन ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव

18.01.16